मुन्तकिली प्रकरण सं0 01/2016 अनवानी 1–गोमन्ददास 2–सुखराम पुत्रगण फूसादास जाति बैरागी नि0 किशनपुरा तहसील सूरतगढ वगैरा बनाम 1–उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ 2–सुरजदास 3–मेघदास 4–पूर्णदास पिसरान फूसादास जाति बैरागी निवासी किशनपुरा तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर वगैरा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

31.08.2016

प्रार्थीगण के अभिभाषक श्री विजय रेवाड उपस्थित है। अप्रार्थीगण उपस्थित नही है। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र गोविन्ददास, सुखराम वगैरा द्वारा उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ एवंम अप्रार्थीगण सख्या 2ता 19 के विरूद्ध धारा 235 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश करके प्रार्थना की है कि उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ के न्यायलय में लबिंत वाद संख्या 200/2014 अनुवानी गोमन्ददास वगैरा बनाम सूरजदास वगैरा में उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ से निष्पक्ष न्याय मिलने की संभावना नही है इसलिए उक्त प्रकरण को उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ के न्यायलय से किसी अन्यत्र सक्षम न्यायलय में मुन्तकिल किया जावे।

चूकि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ को अब सूरतगढ से अन्यत्र स्थान पर लगाया जा चुका है। इसलिए यह मुकदमा मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। अतः यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र इसी आधार पर खारिज किया जावे।

प्रार्थीगण के अभिभाषक को भी उक्त आधार पर मुकदमा मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने पर कोई आपति नही है।

इसलिए यह मुकदमा मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। प्रार्थीगण के अभिभाषक को भी उक्त आधार पर मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने पर कोई आपति नही है। अतः मुन्तकिली प्रा0 पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज करने योग्य है।

1575
9/9/16

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ को पालनार्थ भिजवाई जावे। यह पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 31.08.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पी. सी. किशन)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर